

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2018

विषय:- राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जनपद-नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष योजनागत सहायता/विशेष सहायता (Special Assistance), 13वें वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों से वित्त पोषित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० मंत्रिमण्डल के आदेश दिनांक 12 मई, 2016 के क्रम में राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जनपद-नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-399(A), दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा उक्त कार्य हेतु ₹ 194.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त इस कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-537, दिनांक 23 अक्टूबर, 2013 द्वारा धनराशि ₹12.50 करोड़, शासनादेश संख्या-178, दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा ₹ 20.00 करोड़, शासनादेश संख्या-91, दिनांक 31 जनवरी, 2015 द्वारा ₹12.50 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-293, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा ₹ 25.00 करोड़ एवं फेज-2 (एस०पी०ए०) के तहत लेखा अनुदान के माध्यम से शासनादेश संख्या-399, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा ₹ 16,66,67,000 की धनराशि शासनादेश संख्या-592, दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा ₹ 33,33,33,000 एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-764, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा ₹ 10.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-147, दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित बजट/धनराशि से स्वीकृत ₹ 20.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹1,50,00,00,000 (₹ एक सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत/उपलब्ध करा दिये जाने के क्रम में प्रभारी सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-1017/53/रा०यो०आ०/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 में दी गयी शर्तों/स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा विशेष योजनागत सहायता/विशेष सहायता 13वें वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों से वित्त पोषित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदत्त विशेष वित्तीय सहायता के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, हल्द्वानी के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹8810.00 लाख का समायोजन करते हुये अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिये एस०पी०ए० के अन्तर्गत ₹4400.00 लाख में से ₹2630.92 लाख (छब्बीस करोड़ तीस लाख बयानवैं हजार मात्र) की धनराशि ही को आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की "राज्यपाल महोदया" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्रमशः-2/-पर



3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या-413/XXVII(1)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।



12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखा अनुदान के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-07 में एस0पी0ए0 के मद 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परियोजना-80-सामान्य-800-अन्य भवन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-04-विभिन्न विभागों में पूंजीगत निर्माण के अन्तर्गत मद के नामें डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-94(म0)/XXVII(3)/2018-19, दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-H1812071686, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 874 /VI /2018-04(खेल) /2004, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर0जी0आई0सी0एस0 सोसायटी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार, देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary Finance (HOD) (2211)

अलोटमेंट आई डी - H1812071686

आवंटन पत्र दिनांक -27-Dec-2018

आवंटन पत्र संख्या - .  
अनुदान संख्या - 007

DDO Name - Director Sports Dehradun (2441) . Treasury - Cyber (1200)

1: लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य  
800 - अन्य भवन  
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना  
04 - विभिन्न विभागों में पूंजीगत निर्माण

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
24 - बहल निर्माण कार्य	0	263092000	263092000
	0	263092000	263092000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

263092000

